

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ14()2012/एफसीए/प्रमुवसं/ 3797

दिनांक: 26.6.15

कार्यालय-आदेश

जिला सीकर, चूरु तथा बीकानेर के वनमण्डल क्रमशः सीकर, चूरु एवं बीकानेर में एनएच 11 के सेक्शन सीकर से बीकानेर किमी 340.188 से 557.775 के मध्य के अपग्रेडेशन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक 133.379 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक 8-19/2013-एफसी दि. 18.11.13 द्वारा शर्तोधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली ने जरिये अपने पत्रांक 11-306/2014-एफसी दि. 7.5.15 द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में प्रस्तुत ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 52/2015 के संदर्भ में दि. 13.3.2015 को जारी आदेश के क्रम में दिये गये निर्देशों के अनुसार लिनियर प्रोजेक्ट हेतु वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण जिनमें भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य आवश्यक मदों में राशि जमा करवायी गयी है, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित कर, उसका वन विभाग के पक्ष में अमल-दरामद किया जा चुका हो, उसमें राज्य सरकार के स्तर से कुछ शर्तोधीन वनभूमि में कार्य करने की अनुमति तथा परियोजना से प्रभावित वृक्षों के पातन की स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।

चूंकि उक्त परियोजना हेतु वांछित 133.379 है० वनभूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा जिसकी शर्तों की पालना हेतु यूजर एजेंसी द्वारा समस्त आवश्यक राशि तदर्थ केम्पा में जमा करवा दी गई है एवं भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के क्रम में 9.63 है० गैर वनभूमि वन विभाग के नाम स्थानांतरित कर उसका अमल-दरामद वन विभाग के नाम कर दिया गया है। अतः भारत सरकार के पत्र दिनांक 8.8.14 एवं 7.5.15 एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 12.5.15 के क्रम में परियोजना हेतु आवश्यक 133.379 है० वनभूमि के कार्य प्रारम्भ करने एवं 8251 वृक्षों के पातन की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान करने की अनुमति जारी करने के आदेश एतद्वारा प्रसारित किये जाते हैं:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण (PWD-NH) द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव में दिये गये विवरणानुसार ही उक्त राजमार्ग के अपग्रेडेशन एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. अपग्रेडेशन एवं सुदृढ़ीकरण से प्रभावित वनक्षेत्र में आवश्यकतानुसार ही न्यूनतम वृक्षों का तथा अधिकतम प्रस्ताव में उल्लेखित 8251 वृक्षों का ही पातन किया जावेगा।
3. वृक्षों का पातन वन विभाग के निर्देशन एवं कठोर निगरानी में कराया जायेगा।
4. वृक्षों के कटान से प्राप्त लकड़ी मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर द्वारा स्थापित अस्थाई डिपो पर प्रयोक्ता अभिकरण (PWD-NH) द्वारा जमा करवायी जावेगी।

5. परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
6. प्रत्यावर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि/क्षेत्र का उपयोग प्रस्ताव में उल्लेखित प्रयोजन के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
7. वनभूमि पर मजदूरों आदि के लिए किसी भी प्रकार का कैंप आदि नहीं लगाया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग अथवा वैधानिक संस्था से वैकल्पिक ईंधन का कय करके मजदूर इत्यादि को उपलब्ध करायेगा।

26/6.
(एस.एस. चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ14()2012/एफसीए/प्रमुखसं/3792-809 दिनांक: 26.6.15
प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक (एफसी डिवीजन), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई-दिल्ली-110001
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
3. शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राज0, जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/बीकानेर।
7. उप वन संरक्षक, सीकर/चूरु/बीकानेर।
8. परियोजना निदेशक एवं अधिशासी अभियंता, PWD, रा.उ.मार्ग, खण्ड-चूरु।
9. रक्षी पत्रावली।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर